

कार्यालय नगरपालिका परिषद, सिवनी (म0प्र0)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक / 7913 / न.पा.प. / 2026

सिवनी, दिनांक / 13/03 / 2026

निम्नलिखित कार्यो हेतु केद्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत फर्म / ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जाती है । उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण बेबसाईट <https://mptenders.gov.in/> पर देखा जा सकता है ।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	प्रस्तावित निर्माण कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_ 490215	वार्ड क्रमांक 01 महामाया वार्ड में पी.जी. कॉलेज के पीछे बघेल जी वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	45 दिवस 400976	2000 4100	02/04/2026
2	2026_UAD_ 490216	वार्ड क्रमांक 05 सी.व्ही. रमन वार्ड में श्री कमल मर्सकोले जी के मकान से श्री आशीष पाठक जी के मकान होते हुये श्री उमेश त्रिवेदी जी के मकान तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	45 दिवस 608554	2000 6100	02/04/2026


नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन www.mptenders.gov.in/ बेबसाईट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी

नियम एवं शर्तें :-

- वर्तमान आयकर एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा में अमानत राशि का भुगतान ऑनलाईन ही मान्य होगा । निर्धारित अमानत राशि की ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन रिसीप्ट NEFT/RTGS प्रति, पेन, ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, 100 रु. के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में एफिडेवित, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
- ठेकेदार का ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ।
- देयक से 1% लेबर बेलफियर हेतु राशि की कटौती की जावेगी ।
- ठेकेदार की निविदा दर स्वीकृति के उपरांत अनुबंध सम्पादित करने के उपरांत ही कार्यादेश दिया जावेगा ।
- सूची में वर्णित निर्माण कार्यो के प्रत्येक निर्माण कार्यो की निविदा वैधता अवधि 180 दिवस रहेगी ।
- नगर पालिका के स्पेशिफिकेशन तथा आवश्यकता अनुसार लोक निर्माण विभाग के मेनुअल का पालन करना होगा ।
- निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग / शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । दर स्वीकृति उपरांत अनुबंध निष्पादन के पूर्व 5 प्रतिशत अमानत राशि की एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा ।
- अनुबंध सूचना प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस के अंदर अनुबंध संपादित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में जमाशुदा अमानत राशि को राजसात किया जा सकेगा साथ ही संबंधित ठेकेदार / फर्म को ब्लेकलिस्टेड किये जाने की कार्यवाही भी की जावेगी ।
- म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के आदेश क्र./2165/2265526/24/18-2 भोपाल, दिनांक 09.09.2024 में वर्णित कण्डिकायें अनुबन्ध का हिस्सा होगी।
- निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी नियम शर्तें / आदेश / निर्देश लागू होंगे जो इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं एवं भविष्य में जारी होंगे तथा वे शर्तें / नियम लागू होगी, जो त्रुटिवश इस निविदा में जारी करते समय छूट गई है ।
- निविदा में जो भी संशोधन होगा वह ऑनलाईन किया जावेगा । समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।
- समस्त मटेरियल तथा कांक्रीट की प्रयोगशाला परीक्षण उपरांत ही चलित देयक का भुगतान किया जावेगा। प्रति 30 घन मीटर कांक्रीट के पश्चात कांक्रीट का प्रयोगशाला परीक्षण कराना होगा ।
- लागत राशि में कम या अधिक निविदा प्राप्त होने पर निविदा दर जोड़ने पर जो बिल राशि प्राप्त होगी उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी राशि पृथक से ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा ।

- 15 संबंधित स्वीकृत ठेकेदार को प्राक्कलन मुताबिक निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ठेका का निरस्तीकरण किया जाकर जमा अमानत राजसात कर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 16 संबंधित स्वीकृत ठेकेदार को निर्माण कार्य हेतु अपने स्वयं के संसाधन से पानी व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा निकाय द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
- 17 उल्लेखित निर्माण कार्य के भुगतान संबंधी कार्यवाही शासन अनुदान राशि की उपलब्धता के आधार पर की जावेगी।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी

पृ. क्रमांक / 7914 / न.पा.प. / 2026

सिवनी, दिनांक / 13 / 03 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महोदय न.पा.प. सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर को भेजकर लेख है कि, अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरीय निकायों को सूचित किये जाने हेतु।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र की ओर सूचनार्थ। निविदा सूचना कम से कम स्थान पर अपने दैनिक समाचार पत्र में निविदा दिनांक पूर्व एक दिन के लिये प्रकाशित कर बिल भुगतान के लिये प्रस्तुत करें एवं बिल के साथ केन्द्र/राज्य स्तर के द्वारा स्वीकृत दर की सूची एवं समाचार पत्र की तीन प्रतियाँ भी प्रस्तुत करें। निविदा का स्थानीय पृष्ठ पर प्रकाशन किये जाने की स्थिति पर बिल भुगतान संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी तथा आगामी समय में निविदा का प्रकाशन आपके समाचार पत्र में नहीं कराया जावेगा।
4. कार्यालय कलेक्टर/नगर पालिका परिषद सिवनी/राजस्व कार्यालय, न.पा.प./लोक निर्माण विभाग सिवनी के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी